Protecting
Vulnerable Groups
Scheme

CHECK TO PROTECT

प्रोटेक्टिंग वल्नेरेबल ग्रुप स्कीम (असुरक्षित/कमजोर समूहों की सुरक्षा योजना)
सुरक्षा के लिए जांच

1. परिचय

2010 में स्कॉटिश सरकार एक नई सदस्यता योजना पेश करेगी। यह योजना, कमजोर समूहों के साथ कार्य करने वाले लोगों के लिए वर्तमान डिस्क्लोज़र व्यवस्थाओं को बदलेगी तथा इनमें सुधार करेगी। प्रोटेक्टिंग वल्नेरेबल ग्रुप स्कीम (PVG स्कीम) में:

- यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, कि जिन लोगों का बच्चों और संरक्षित वयस्कों के साथ भुगतान आधारित और भुगतान रहित कार्य के ज़रिए नियमित सम्पर्क होता है, उनका हानिकारक व्यवहार का कोई ज्ञात इतिहास नहीं है,
- PVG स्कीम तेज़ी से कार्य करेगी और इसे प्रयोग करना आसान होगा, जिससे सदस्यों के लिए उस समय हर बार एक विस्तृत आवेदन पत्र भरने की ज़रूरत कम हो जाएगी जब डिस्क्लोजर जांच ज़रूरी होती है,
- अनुपाती सुरक्षा और प्रभावी नियमन के बीच एक संतुलन कायम होगा और इससे नियोक्ताओं को यह तय करने में आसानी होगी कि अपने ग्राहक समूह की सुरक्षा के लिए वे किसकी जांच करें।

इस बुकलेट का उद्देश्य PVG स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। यह विभिन्न ऑनलाइन स्वरूप और छपी हुई कॉपी के रूप में उपलब्ध है ताकि समूह और संगठन, आसानी से इसे अपने स्टॉफ, स्वयंसेवियों, सदस्यों और ग्राहकों में वितरित कर सकें। PVG स्कीम के बारे में अधिक जानकारी, स्कॉटिश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पते और सम्पर्क जानकारी पेज 11 तथा 12 में दी गयी है।

2. पृष्ठभूमि

PVG स्कीम, सोहम में 2002 में हुई दुखद हत्याओं के बाद बिचार्ड जांच रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश पर स्कॉटलैंड की कार्रवाई है। इस सिफारिश में उन सभी व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर जोर दिया गया था जो यूके में बच्चों और कमजोर वयस्कों के साथ कार्य करते हैं। इससे तय किया जा सकेगा कि इस बात का कोई ज्ञात कारण नहीं है कि कोई व्यक्ति क्यों इन ग्राहक समूहों के साथ कार्य नहीं कर सकता।

स्थानीय समुदायों को विकसित होने देने तथा रहने के लिए अधिक मजबूत और सुरक्षित बनने देने में मदद के लिए स्कॉटिश सरकार वचनबद्ध है। इसे स्कॉटलैंड में वर्तमान डिस्क्लोजर और अयोग्यता सेवाओं से उपयोगी तत्व लेकर तैयार किया गया है ताकि एक ऐसी प्रभावी सदस्यता योजना बनाई जा सके जो कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा मजबूत करे और नौकरशाही का दखल कम कर सके।

3 PVG स्कीम के दायरे में कौन आएगा?

PVG स्कीम, बच्चों और सुरक्षित वयस्कों को सेवाएं, कार्य और सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले वैधानिक, स्वयंसेवी और निजी क्षेत्रों के विविध संगठनों और समूहों पर लागू होगी। ऐसा अनुमान है कि भुगतान प्राप्त करने वाले और भुगतान के बिना नियमित कार्य करने वाले लगभग 700,000 से 800,000 लोग आने वाले समय में PVG स्कीम के सदस्य होंगे। विनियमित कार्य के दायरे के बारे में समूहों और संगठनों को दिशानिर्देश और प्रशिक्षण स्कीम के लागू होने से उपलब्ध होंगे।

4. PVG स्कीम किस प्रकार कार्य करेगी?

PVG स्कीम का प्रबंधन और संचालन डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड द्वारा किया जायेगा जो स्कॉटिश सरकार की एजेंसी के रूप में अन्य दायित्व भी संभालेगी। इनमें शामिल हैं: स्कॉटिश मंत्रियों की ओर से इस संबंध में निर्णय लेना, कि कमजोर समूहों के साथ कार्य करने से किन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहीए।

बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के अलावा, PVG स्कीम वयस्कों के लिए भी सुरक्षा बेहतर करेगी क्योंकि स्कॉटलैंड में पहली बार ऐसे लोगों की सूची बनाई जायेगी जिनको संरक्षित वयस्कों के साथ कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है (ऐसे लोगों की सूची पहले से ही मौजूद है जिनको बच्चों के साथ कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है)। एक संरक्षित वयस्क वह व्यक्ति है जो 16 या अधिक आयु का है और जो नियमित रूप से या थोड़े समय के लिए एक या अधिक प्रकार की देखभाल या कल्याण सेवाएं प्राप्त करता है।

कमजोर समूहों के साथ नियमित रूप से कार्य करने वाले लोग PVG स्कीम में शामिल होंगे और इसके बाद यदि कोई नई जांच जानकारी उपलब्ध होती है तो उनका सदस्यता रिकार्ड अपने आप अपडेट हो जायेगा। जांच जानकारी, दोषसिद्धि जानकारी होगी जो आपराधिक न्याय प्रणालियों से प्राप्त की जायेगी और पुलिस द्वारा रखी गई गैर–दोषसिद्धि जानकारी संगत मानी जाती है।

किसी व्यक्ति द्वारा PVG स्कीम का सदस्य बनने के बाद जांच जानकारी एकत्र करते रहने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि नई जानकारी, जिससे असुरक्षित समूहों के प्रति किसी जोखिम का संकेत मिलता है, पर तत्काल समुचित कार्यवाही की जा सके। अधिकांश मामलों में, असुरक्षित समूहों के साथ कार्य से संबंधित कोई नई जांच जानकारी नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, यदि समूह और संगठन किसी व्यक्ति द्वारा कमजोर समूहों के प्रति हानिकारक व्यवहार को लेकर आशंकित हैं तो वे डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड को मामला भेज सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं और स्पष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध कराये जाएंगे कि समूह और संगठन, उपयुक्त और वास्तविक मामले ही आगे भेजें।

ऐसे उदाहरणों में, जहां जांच या संदर्भ जानकारी से यह संकेत मिलता है कि कोई व्यक्ति, कमजोर समूहों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है, डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड यह निर्णय लेने के पूर्व सभी उपलब्ध जानकारी पर विचार करेगा कि ऐसे व्यक्ति को एक या दोनों प्रतिबंध सूचियों में रखने हेतु विचाराधीन किया जाए या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार सूचीबद्ध किए जाने के लिए विचाराधीन है, तो डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड अधिक जानकारियां अन्य स्रोतों, जैसे नियोजकों या विनियामक संगठनों से प्राप्त कर सकेगा।

प्रतिबंधित करने के निर्णय, एक सम्पूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा लिए जाएंगे। व्यक्ति, विचार की जाने वाली सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेगा और वे PVG स्कीम में लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। सूचीबद्ध किए जाने के लिए विचाराधीन होने के दौरान, व्यक्ति कमजोर समूहों के साथ कार्य करते रह

सकेंगे लेकिन उनमें रुचि रखने वाले सभी संगठनों और समूहों को उनकी PVG स्कीम सदस्यता स्थिति में परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाएगा।

यदि, सावधानीपूर्वक किए गए मूल्यांकन के बाद, किसी व्यक्ति को जोखिम माना जाता है और इस प्रकार, वह बच्चों या संरक्षित वयस्कों के साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, या दोनों मामलों में, तो डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड उन्हें एक या दोनों प्रतिबंध सूचियों में सूचीबद्ध करेगा। इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति PVG स्कीम सदस्य के रूप में एक या दोनों क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा। प्रतिबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना – या किसी संगठन द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए ऐसे सूचीबद्ध व्यक्ति को अनुमति प्रदान करना – अपराध माना जायेगा। प्रतिबंधित करने के निर्णय को चुनौती देने के इच्छुक लोगों के लिए अपील प्रक्रिया उपलब्ध होगी।

कोई व्यक्ति, जिसे बच्चों, संरक्षित वयस्कों या दोनों के साथ कार्य करने से स्कॉटलैंड में प्रतिबंधित किया गया है, वह यूके के शेष भाग में भी प्रतिबंधित होगा और अन्य जगह प्रतिबंधित होने पर स्कॉटलैंड में भी प्रतिबंधित माना जायेगा, क्योंकि PVG स्कीम इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड हेतु विकसित की जा रही व्यवस्था के साथ जुड़ी है।

PVG स्कीम, प्रणाली को विभिन्न ज़रूरतों के अनुरूप और यथासंभव तीव्र और कुशल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के डिस्क्लोजर पेश करती है। स्कॉटिश सरकार की वेबसाइट पर विविध डिस्क्लोज़र प्रकारों और PVG स्कीम सदस्यता शुल्क और डिस्क्लोज़र के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है।

PVG स्कीम सदस्य बनने का एक लाभ यह है कि यह लोगों द्वारा हर बार अपनी स्थितियों में परिवर्तन होने पर एक विस्तृत आवेदन पत्र भरने की ज़रूरत काफी हद तक कम हो जाएगी।

दूसरा लाभ यह है कि संगठन और समूह, अपनी सुरक्षित भर्ती प्रक्रियाओं के अंग के रूप में, इस बात की त्वरित और आसान जांच करने में समर्थ होंगे कि कोई व्यक्ति PVG स्कीम का सदस्य है और इस प्रकार उसे बच्चों या संरक्षित वयस्कों या दोनों के साथ कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

असुरक्षित समूहों हेतु स्वयंसेवी क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्वयंसेवियों के लिए यह जांच निःशुल्क रहेगी।

PVG स्कीम उन मामलों में कमजोर समूहों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करती है जहां व्यक्तियों को निजी आधार पर नियोजित किया जाता है। निजी नियोक्ता–जैसे कि कोई अभिभावक, जो अपने बच्चे के लिए स्पोर्ट्स कोच नियुक्त करते हैं या निजी देखभाल करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने वाले लोग – यह जांच कर सकेंगे कि व्यक्ति PVG स्कीम का सदस्य है या नहीं।

5. PVG स्कीम कब से प्रभावी होगी?

PVG स्कीम के 2010 के अंत से प्रभावी होने की आशा है और प्रकाशन के समय तक निर्धारित तिथि स्कॉटिश सरकार द्वारा निश्चित की जानी बाकी है।

प्रभावी होने के बाद, PVG स्कीम को चरणबद्ध रूप से लागू होने में चार वर्ष का समय लगना अपेक्षित है।
प्रभावी होने के बाद प्रथम वर्ष में, PVG स्कीम केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जो पहली बार कमजोर समूह कार्यबल को ज्वाईन कर रहे हैं, पद परिवर्तन कर रहे हैं या जिनकी परिस्थितियां बदली हैं। स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदन निरंतर किए जा सकेंगे जिनकी प्रतिक्रियाएं लिखित में दी जाएंगी।

प्रभावी होने के लगभग एक वर्ष के बाद, नई सुरक्षित, इलेक्ट्रॉनिक PVG स्कीम प्रणाली होगी जिससे संगठन, समूह और व्यक्ति, इस स्कीम में ऑनलाइन संपर्क कर सकेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू होने के शीघ्र बाद यह आशा की जाती है कि असुरक्षित समूह कार्यबल के वर्तमान सदस्य, PVG स्कीम में शामिल होना आरंभ करेंगे। इसमें तीन वर्ष का समय लगने की आशा है तथा प्रशासकीय भार को कम करने के लिए समूहों और संगठनों की सहभागिता से इसकी योजना बनाई जाएगी और इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

6. कौन–सी मदद उपलब्ध होगी?

जानकारियों, दिशानिर्देशों और प्रशिक्षण सामग्रियों का एक समन्वित और सम्पूर्ण पैकेज, शुरूआत में और स्कीम लागू होने पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ–साथ अनेक जानकारियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध होंगे।

7. संगठन और समूह इस संबंध में क्या तैयारी करें?

इस बुकलेट के अंत में सूचीबद्ध वेबसाइटों को देखते हुए संगठन और समूह प्रगति, गतिविधियों और कार्यक्रमों की ताजा जानकारी प्राप्त करते रहने के अतिरिक्त निम्न कार्य कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करें कि उपयुक्त सुरक्षित भर्ती, बच्चों तथा/या वयस्क संरक्षण नीतियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। जहां बड़े संगठनों के लिए यह मानक हो सकता है वहीं छोटे संगठनों और समूहों के लिए यह मानक नहीं भी हो सकता है। सुरक्षित भर्ती के विषय में विभिन्न प्रकाशन उपलब्ध हैं।

Safer Recruitment Through Better Recruitment Guidance - The Scottish Government
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/13154149/0

Safer Pre and Post Employment Checks - NHSScotland
http://www.show.scot.nhs.uk

Safer Recruitment for Safer Services - Care Commission
http://www.carecommission.com

उन पदों (भुगतान सहित और भुगतान रहित) की एक सूची रखें, जिनकी एक विस्तृत डिस्क्लोजर जांच करने की ज़रूरत होती है और यह नोट करें कि पदों में लोगों को अंतिम बार कब जांचा गया था। वर्तमान कार्यबल की जांच प्रक्रिया के तीन वर्ष पूरे होने के उपरांत PVG स्कीम सदस्य होने के बारे में व्यक्ति के निर्धारण में यह उपयोगी हो सकता है।

यदि डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी प्रतिहस्ताक्षरित सूची को अद्यतन रखना सुनिश्चित करें क्योंकि PVG स्कीम के तहत आवेदनों को प्रतिहस्ताक्षरित होने की आवश्यकता होगी।

हस्ताक्षरकर्ताओं की वर्तमान सूची अपडेट करने या इसकी जांच के लिए, अपने रजिस्टर्ड बॉडी कोड और हस्ताक्षरियों की सूची का उल्लेख करते हुए कृपया रजिस्टर्ड व्यक्ति (प्रमुख हस्ताक्षरी) से एक ई–मेल dscompliance@scro.pnn.police.uk पर भेजें।

8. उपयोगी वेबसाइटें

स्कॉटिश सरकार, PVG स्कीम

http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/Young-People/children-families/pvglegislation

डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड
http://www.disclosurescotland.co.uk/

स्कॉटलैंड में सेंट्रल रजिस्टर्ड बॉडी
http://www.crbs.org.uk/

एपेक्स स्कॉटलैंड
http://www.apexscotland.org.uk/

9. अधिक जानकारी

अधिक जानकारी के लिए, सम्पर्क करें:
Protecting Vulnerable Groups Scheme, Implementation Team
The Scottish Government
टेलीफोन: 0131 244 4907
ई–मेल: pvg.enquiries@scotland.gsi.gov.uk
ऑडियो, ब्रेल, बड़े प्रिंट और सामुदायिक भाषा संस्करणों के लिए, कृपया सम्पर्क करें:
0131 244 4907

क्राउन कॉपीराइट 2009
स्कॉटिश सरकार द्वारा प्रकाशित, मार्च 2009

यह दस्तावेज़ स्कॉटिश सरकार की वेबसाइट www.scotland.gov.uk पर भी उपलब्ध है।

Disclosure SCOTLAND

safer scotland SCOTTISH GOVERNMENT